

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

दिनांक 20-06-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत-फोर्ती

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
39	सुरेश चन्द	सुरेश चन्द
40	सन्जय बगौली	सन्जय
41	गोविन्द सुते	गोविन्द
42	जगदीश चन्द	जगदीश चन्द
43	सुमित पुनवा	सुमित
44	राज सिंह	राज
45	रमेश चन्द	रमेश
46	Deepak Bagavli	Deepak Bagavli 28/6/18
47	सुरेश बगौली	सुरेश
48	दिनेश बगौली	दिनेश
50	जगदीश बगौली	जगदीश
51	रमेश चन्द बगौली	रमेश
52	जीरम बगौली	जीरम
53	आनन्द जगौली	आनन्द
54	Ulf Mehar	Ulf Mehar
55	पुकाश चन्द	पुकाश चन्द
56	केलश चन्द बगौली	केलश

प्रधान
ग्राम पंचायत फोर्ती
20-06-2018 (समपन्न)

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

दिनांक 20-06-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत-फोर्ती

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
19	दिनेश चन्द्र बगौली	
20	योगेश बगौली	
22	दीपक कुमार	
23	बानी राम ध. मंगाराम	
24	गणेश चन्द्र बगौली	
25	नरेन्द्र कुमार	
26	कोविंद पाध्याय	
27	जगतेश चन्द्र	
28	सुगवती प्रसाद	
29	देवा राय	
30	नरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा	
31	प्रकाश कुमार	
32	नवीन कुमार	
34	बलदेव राय	
35	नाथ राम	
36	सतीश चन्द्र बगौली	
37	पुष्प राय	
38	देव राय	

प्रधान
ग्राम पंचायत फोर्ती
लोहाघाट (चम्पावत)

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

दिनांक 20-06-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत-फोर्ती

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	किसनानन्द उपाध्याय	किसनानन्द
2	मोहन चन्द्र कुंवर (पल्ला कुंवर)	मोहन
3	शुभम् बगौली S/जनपीर बगौली	Shubham
4	दीपक उपाध्याय	Deepak
5	रमेश कुंवर	Rakesh Pruthi
6	सुरेश दत्त कुंवर	Suresh Datt Suthar
7	पूजारी राम विश्वकर्मा	Poojari Ram
8	कुशानन्द बगौली	Kushanand
9	मोहन चन्द्र उपाध्याय	Mohan Chandra
10	नरपति उपाध्याय	Narpati
11	महेन्द्र कुंवर	Mahendra
12	मोहन चन्द्र कुंवर	Mohan Chandra
13	मोहन चन्द्र कुंवर	Mohan Chandra
14	मोहन चन्द्र कुंवर	Mohan Chandra
15	दीपक चन्द्र बगौली	Deepak Chandra
16	लीलाचर मिश्र	Leela Char Mishra
17	मोहन चन्द्र कुंवर	Mohan Chandra
18	आनन्द विश्वकर्मा	Anand

मंगलती इलाह
प्रधान
ग्राम पंचायत फोर्ती
पिनकोड- लोहाघाट (चम्पावत)

ग्राम पंचायत का नाम—फोर्ती
तहसील—लोहाघाट, जिला—चम्पावत।
अनापत्ति प्रमाण—पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में "जनपद चम्पावत में कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण" 4500 हे० वन भूमि का सिंचाई खण्ड लोहाघाट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम—फोर्ती द्वारा दिनांक 20.06.2018 को सम्पन्न ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम—फोर्ती के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी को झील के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
 ग्राम सचिव


 प्रधान
 ग्राम पंचायत फोर्ती
 तहसील—लोहाघाट (चम्पावत)

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

1.6

13

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में
बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

दिनांक 21-06-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत-कोलीढेक

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
49	अब्दुल गफ़्फ़ार / अब्दुल ग़फ़्फ़ार	अब्दुल गफ़्फ़ार
50	- अब्दुल हकीम / अब्दुल हकीम	अब्दुल हकीम
51	मो. इमर	मो. इमर
52	अब्दुल हसन	अब्दुल हसन
53	मो. नसीम	मो. नसीम
54	सतार जान	सतार जान
55	जोहार हुसैन	जोहार हुसैन
56	जोहार हुसैन	जोहार हुसैन
57	मो. नसीम	मो. नसीम
58	सहीदा बेगम	सहीदा बेगम
59	हमीदा बेगम	हमीदा बेगम



(मो. इमर बेगम)
57 अध्यक्ष
कोलीढेक झील बनाओ संघर्ष समिति
कोलीढेक, लोहाघाट (चम्पावत)



106

12



परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

दिनांक 21-06-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत-कोलीढेक

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
31	अब्दुल कलीम पुत्र अब्दुल हमीद	
32	S. S. S. S.	
33	M. Tasleem S/o Abdul Majeed	M. Tasleem
34	Tabassum b/o M. Tasleem	Tabassum
35	जामिनी पत्नी पुत्री मो. तसलीम	
36	ताइना अंसारी/पुत्री अब्दुल तहाब	
37	शहीन/पत्नी मजान अहमद शहीन नवाज अहमद	
38	अब्दुल हसन	
39	Abdul Hassan	
40	Abdul Rasool	
41	Jahid S/o Sir Durrani	
42	मो. जावेद	
43	मो. छवि	M. Javed
44	फाईम खान	Faim Khan
45	जौहर दुसैन	जौहर दुसैन
46	शेख अली	Shekh Ali
47	मो. इदर	M. Idar
48	मो. फातेम	M. Fatah



(मो. तसलीम देक)
अध्यक्ष
कोलीढेक झील बनाओ समिति
कोलीढेक, लोहाघाट (चम्पावत)



1.6

11



परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

दिनांक 21-06-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत-कोलीढेक

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
19	जगत राम पुत्र बन्नी राम	जगत राम
20	जिवन राम पुत्र हजल राम	Jan
21	प्रकाश चंद जोशी पुत्र देवी लाल जोशी	प्रकाश जोशी
22	मदन जोशी पुत्र जमल लाल जोशी	
23	विजय जोशी पुत्र जयदल जोशी	Madan
24	सिंह देव पुत्र देव सिंह देव	सिंह देव
25	प्रकाश सिंह देव पुत्र गोविंद सिंह देव	
26	चित्रा मणी जोशी पुत्र लिलाक्ष जोशी	Chitra
27	विलोप सिंह फर्वाल पुत्र केसर सिंह फर्वाल	विलोप सिंह
28	भुवन चंद जोशी पुत्र जवाला लाल जोशी	भुवन चंद जोशी
29	नारामण सिंह मेहरा पुत्र ओम सिंह मेहरा	नारामण सिंह
30	जोगा राम पुत्र गोपाल राम	जोगा राम



(मोहन सिंह देव)

57 अध्यक्ष

कोलीढेक झील बनाओ संघर्ष समिति
कोलीढेक, लोहाघाट (चम्पावत)



1-6

10



परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

दिनांक 21.06.2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत-कोलीढेक

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01.	मोहन सिंह देव पुत्र श्री विमान सिंह देव	मोहन सिंह देव
02.	हलतर सिंह देव पुत्र जोध सिंह देव	हलतर सिंह देव
03.	अनन्त सिंह देव पुत्र —————	अनन्त सिंह देव
04.	दरवान सिंह देव पुत्र भवान सिंह देव	दरवान सिंह देव
05.	राजेंद्र सिंह देव पुत्र विनय सिंह देव	R.S. Meher
06.	श्याम सिंह देव पुत्र शेर सिंह देव	श्याम सिंह देव
07.	शंकर सिंह देव पुत्र —————	शंकर सिंह देव
08.	रमेश सिंह देव पुत्र धर्म सिंह देव	Ram Singh D.K.
9.	केलार सिंह देव पुत्र —————	केलार सिंह देव
10.	पुन सिंह देव पुत्र अरुण सिंह देव	पुन सिंह देव
11.	महेश सिंह देव पुत्र अिशान सिंह	महेश सिंह देव
12.	नरेश सिंह देव पुत्र गोविन्द सिंह देव	नरेश सिंह देव
13.	मुकेश सिंह देव पुत्र विनय सिंह देव	मुकेश सिंह देव
14.	मुकेश जोशी पुत्र बन्नी लम	मुकेश जोशी
15.	धर्मनन्द जोशी पुत्र किशव देव	धर्मनन्द जोशी
16.	ललीत जोशी पुत्र अश्वरा दत्त	ललीत जोशी
17.	मनोहर दा. शर्मा पुत्र महेश्वर शर्मा	मनोहर दा. शर्मा
18.	रमेश चन्द शर्मा पुत्र महेश्वर शर्मा	रमेश चन्द शर्मा



(मोहन सिंह देव)
अध्यक्ष
कोलीढेक झील बनाओ संघर्ष समिति
कोलीढेक, लोहाघाट (चम्पावत)



1.6

9

ग्राम पंचायत का नाम—कोलीढेक
तहसील—लोहाघाट, जिला—चम्पावत।
अनापत्ति प्रमाण—पत्र



जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में "जनपद चम्पावत में कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण" 4.500 हे० वन भूमि का सिंचाई खण्ड लोहाघाट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम—कोलीढेक द्वारा दिनांक 21-06-2018 को सम्पन्न ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम—कोलीढेक के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी को झील के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ह०/-
ग्राम सचिव/

ह०/-
ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।



(मोहन सिंह ठेके)
अध्यक्ष
कोलीढेक झील बनाओ संघर्ष समिति
कोलीढेक, लोहाघाट (चम्पावत)

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी लोहाघाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वनधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड टनकपुर परिक्षेत्र के अर्न्तगत "जनपद चम्पावत में कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण" परियोजना के निर्माण हेतु 1.308 हे० वन भूमि का सिंचाई खण्ड, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त कर गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील लोहाघाट
जनपद चम्पावत।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिरासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड
लोहाघाट

सहायक अभियन्ता प्रथम
सिंचाई उप खण्ड लोहाघाट
जनपद- चम्पावत

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी
समिति
तहसील.....
जनपद.....

सिंचाई उपखण्ड चम्पावत

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र.....
जिला- चम्पावत

राजस्व उपनिरीक्षक
लोहाघाट
तहसील लोहाघाट

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र-लोहाघाट
का प्रभाग चम्पावत

तहसीलदार
लोहाघाट

उपजिलाधिकारी
लोहाघाट

सदस्य
क्षेत्र पंचायत कोली
वि०ख०- लोहाघाट (चम्पावत)

सदस्य
क्षेत्र पंचायत कोलीढेक
वि०ख०- लोहाघाट (चम्पावत)

जिलाधिकारी
चम्पावत

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत

प्रभागीय वनाधिकारी
लोहाघाट

परियोजना का नाम :-

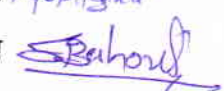
जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी लोहाघाट।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी
अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चम्पावत।

उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अर्न्तगत जनपद चम्पावत में के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण (आरक्षित वन भूमि 0 हे0 सिविल सोयम भूमे 3.192 हे0, वन पंचायत भूमि 1.308 हे0) अर्थात कुल 4.500 हे0 सिंचाई खण्ड, लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील लोहाघाट की दिनांक 02-07-18) को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री आर0सी0 गौतम, उपजिलाधिकारी, लोहाघाट एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री आर0सी0 गौतम, उपजिलाधिकारी, लोहाघाट
- 2- श्री मनोहर सिंह सेमिया, उप प्रभागीय वनाधिकारी लोहाघाट
- 3- श्री मुरलीधर भट्ट, सहायक समाज कल्याण अधिकारी लोहाघाट
- 4- श्री दिनेश कुमार, बी0डी0सी0 क्षेत्र कोलीढेक
- 5- श्री शंकर बगौली, बी0डी0सी0 क्षेत्र फोर्ती

- अध्यक्ष 
- सदस्य
- सदस्य/सचिव 
- सदस्य दिनेश कुमार
- सदस्य 

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि "जनपद चम्पावत में कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण" परियोजना हेतु 1.308 हे0 वन भूमि का सिंचाई खण्ड, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

166

प्रारूप-
(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FROM-1

Government of Uttarakhand

Office at the District Collector Champawat

No. *Memo* / *FRA*

Date *04-07-2018*

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter.No.11-9/98-FG (pt) date 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest rights)Act,2006 (FRA" for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.500 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Irrigation Division, Lohaghat (Champawat) (name of user agency) for Construction of Kolidhek Lake near Lohaghat Distt. Champawat (Purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction of Kolidhek & Forti village (s) in Lohaghat Tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.500 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s) Gram Sabah(s) sub Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure 1 to 5 annexure
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above.

Dr. Ahmad Iqbal
अविभाज्य अभियन्ता
सिवाई खण्ड
लोहाघाट

प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत.

(Dr. Ahmad Iqbal) I.A.S)

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चम्पावत

Office of the District Collector,
District- Champawat (Uttarakhand)

No. *memo* /F.R.A.

Dated *04-07-18*

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

Proceeding of the meeting of the District level Committee Constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) act (FRA), 2006

A meeting of the District Level committee of Champawat district (Uttarakhand) constituted under FRA 2006 was held the chairmanship of Dr. Ahmad Iqbal (IAS), District Magistrate Champawat (Uttarakhand) On *04-07-2018* at *11:30 AM*. Champawat in which the application claiming rights in Kolidhek, Forti, Village in Tashil Lohaghat. Area measuring 4.500 hec for the **Construction of Kolidhek Lake in District Champawat** of the forest FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub- Division Level committee of Lohaghat tahsil were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After Scrutiny of the Documents and Detailed discussion. No objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommends the above case diversion to the land for the said purpose.

Dr. Ahmad Iqbal
अधिसासी अभियन्ता
सिंघाई खण्ड
लोहाघाट

Prabhu
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत.

Dr. Ahmad Iqbal
(Dr. Ahmad Iqbal) I.A.S)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Champawat.

Dr. Ahmad Iqbal
जिला समाज कल्याण अधिकारी
चम्पावत